कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 416/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.11.2026

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

☐ थाना बरदह पुलिस द्वारा सिर पर वार कर हत्या करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 28.10.2026 की शाम करीब 07:00 बजे दुबरा बाजार में अभियुक्त राजेश विश्वकर्मा उर्फ काम्बली द्वारा शराब के नशे में सतीश अग्रहरी के सिर पर किसी घातक वस्तु से वार कर दिया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज जौनपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में दिनांक 31.10.2026 को मृतक के भाई दीपू अग्रहरी की तहरीर पर थाना बरदह में मु0अ0सं0 340/2026 धारा 105 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.11.2026 को उ0नि0 रितेश खरवार मय हमराह द्वारा अभियुक्त राजेश विश्वकर्मा उर्फ काम्बली पुत्र दुक्खू निवासी ग्राम गौरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर, उम्र करीब 38 वर्ष को पारा मोड़ से समय करीब 09:25 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 340/2026 धारा 105 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 160/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।

2. मु0अ0सं0 176/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।

3. मु0अ0सं0 340/2026 धारा 105 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रितेश खरवार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

2. हे0का0 मुकेश विश्वकर्मा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

3. रि0का0 अजय कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

□ थाना देवगांव पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, मोटरसाइकिल चोरी के कई अभियोगों में रहे हैं संलिप्त।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 09.05.2024 को वादी प्रिन्स पुत्र राजरुप निवासी वार्ड नं0-03 संतकबीरपुर थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा कैथीशंकरपुर पुल के पास फोरलेन ओवरब्रिज के नीचे से मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 174/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण विशाल मौर्या, शुभम सरोज, सत्यम गौड़, विशाल कुमार एवं हर्ष सिंह के नाम प्रकाश में आए थे। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.05.2024 को आफताब आलम की मोटरसाइकिल चोरी तथा दिनांक 10.06.2024 को तनमय राय की मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में भी अभियोग पंजीकृत हुए थे। विवेचना में उक्त अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आई तथा चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। संबंधित अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किए जा चुके हैं।

गैंगस्टर एक्ट का अभियोग-

दिनांक 24.06.2026 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त विशाल मौर्या को गैंग लीडर तथा शुभम सरोज, सत्यम गौड़, विशाल कुमार एवं हर्ष सिंह को गैंग के सदस्य बताते हुए गैंगचार्ट तैयार कराकर जिलाधिकारी आजमगढ़ से अनुमोदित कराया गया। उक्त गैंग द्वारा आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए नकबजनी एवं चोरी जैसे अपराध कारित किए जाते थे। जिसके आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 380/2026 धारा 2(ख)1, 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.11.2026 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह एवं निरीक्षक योगेन्द्र सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों—

1. सत्यम गौड़ पुत्र दिनेश गौड़ निवासी कटघर लालगंज थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. विशाल कुमार पुत्र महेन्द्र राम निवासी रामपुर बढौना थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

को हाईवे ब्रिज के पास से समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 380/2026 धारा 2(ख)1, 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त सत्यम गौड़ पुत्र दिनेश गौड़ निवासी कटघर लालगंज थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 008/2024 धारा 323/324/504/506 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
मु0अ0सं0 174/2024 धारा 379 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
मु0अ0सं0 214/2024 धारा 379/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
मु0अ0सं0 225/2024 धारा 379/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
मु0अ0सं0 380/2026 धारा 2(ख)1, 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

2. अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र महेन्द्र राम निवासी रामपुर बढौना थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 174/2024 धारा 379 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
मु0अ0सं0 214/2024 धारा 379/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
मु0अ0सं0 225/2024 धारा 379/411 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
मु0अ0सं0 380/2026 धारा 2(ख)1, 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, थाना देवगांव।
निरीक्षक योगेन्द्र सिंह यादव, थाना देवगांव।
का0 सतिभान सिंह, थाना देवगांव।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक: 02.11.2026, जनपद आजमगढ़

□ अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री नवीन अरोरा द्वारा जनपद आजमगढ़ का वार्षिक निरीक्षण-2026 किया गया।

□ पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर अभिलेखों एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।

□ समीक्षा गोष्ठी के उपरांत जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, पीस कमेटी एवं व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भेंट एवं संवाद किया गया।

□ कार्यक्रम के अंत में अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जनपद के मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता की गई।

आज दिनांक 02.11.2026 को अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री नवीन अरोरा द्वारा जनपद आजमगढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार सहित जनपद के अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

पुलिस कार्यालय का निरीक्षण-
वार्षिक निरीक्षण के क्रम में पुलिस कार्यालय आजमगढ़ पहुंचने पर गार्द द्वारा सलामी दी गई। तत्पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कार्यालय, आंकिक शाखा, डीसीआरबी सहित अन्य शाखाओं के अभिलेखों, कार्यप्रणाली एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव एवं कार्यों के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

समीक्षा गोष्ठी-
इसके उपरांत पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मानुष पारीक, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव, जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारीगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदों से आए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारीगण श्री सम्यक चौधरी (जनपद जौनपुर), श्री विक्रम दहिया (जनपद चंदौली), श्री राजकुमार मीणा (जनपद मिर्जापुर), श्री ऋषभ रुदवाल एवं सुश्री मेवीस वॉक (जनपद सोनभद्र) तथा श्री शुभम अग्रवाल (जनपद भदोही) भी उपस्थित रहे।

➡□ गोष्ठी में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, विवेचनाओं की गुणवत्ता, लंबित अभियोगों एवं जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण, वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम तथा यातायात व्यवस्था सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, गंभीर अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने, लंबित विवेचनाओं एवं अभियोगों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने तथा आमजन की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनप्रतिनिधियों के साथ भेंट एवं वार्ता-
समीक्षा गोष्ठी के पश्चात पुलिस लाइन आजमगढ़ में अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन श्री नवीन अरोरा द्वारा जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ भेंट एवं वार्ता की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित कर उनके सुझाव एवं समस्याएं सुनी गईं। अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जनहित एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों पर पुलिस प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया।

गणमान्य नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों के साथ संवाद-
इसी क्रम में पुलिस लाइन आजमगढ़ में जनपद के गणमान्य नागरिकों, पीस कमेटी के सदस्यों एवं विभिन्न व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों के साथ अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भेंट एवं वार्ता की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों से विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित कर उनके सुझाव एवं समस्याएं सुनी गईं। साथ ही जनपद में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा जनहित एवं सुरक्षा से

संबंधित विषयों पर पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग बनाए रखने की अपील की गई। अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया।

मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता-
उक्त कार्यक्रमों के अंत में अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री नवीन अरोरा द्वारा जनपद आजमगढ़ के मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा वार्षिक निरीक्षण के दौरान की गई समीक्षा, पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था एवं जनपद में पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न अभियानों एवं जनहितकारी कार्यों के संबंध में जानकारी साझा की गई। साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांकः 02.11.2026, जनपद आजमगढ़

☐ थाना सरायमीर पुलिस द्वारा आटा चक्की की दुकान में हुई चोरी की घटना का अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के रुपये बरामद।

☐ थाना महराजगंज पुलिस द्वारा किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

1. थाना सरायमीर : चोरी की घटना का अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार
दिनांक 01.11.2026 को वादी मो0 साजिद पुत्र मो0 शाहिद निवासी ग्राम नन्दाव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 30.10.2026 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा उनकी आटा चक्की की दुकान की दीवार फांदकर अंदर रखे लकड़ी के बक्से का ताला तोड़कर लगभग 20,000 रुपये चोरी कर लिए गए। इस संबंध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 272/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.11.2026 को उ0नि0 नीरज कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमे में प्रकाश में आए अभियुक्त सुदर्शन चौहान पुत्र सुबेदार चौहान निवासी दरियादयालपुर थाना गंभीरपुर, हाल पता नेगवा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को नन्दाव नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के शेष 1,100 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त ने चोरी के 18,900 रुपये खर्च कर देना स्वीकार किया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-
सुदर्शन चौहान पुत्र सुबेदार चौहान निवासी दरियादयालपुर थाना गंभीरपुर, हाल पता नेगवा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 272/2026 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सरायमीर।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 90/2013 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सरायमीर।
2. मु0अ0सं0 90ए/2013 धारा 379/41/411 भादवि थाना सरायमीर।

2. थाना महराजगंज : किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार
दिनांक 31.10.2026 को थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत एक गांव में घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने तथा विरोध करने पर गाली-गलौज एवं जान-माल की धमकी देने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 263/2026 धारा 74/352/351(3)/333 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन तथा थानाध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में दिनांक 01.11.2026 को उ0नि0 चन्द्रजीत यादव मय हमराह का0 अजीत यादव द्वारा अभियुक्त बलिन्दर पुत्र पथरू राजभर निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (औघड़गंज बड़की भरऊटी) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को कटान बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत भी आवश्यक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-
बलिन्दर पुत्र पथरू राजभर निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (औघड़गंज बड़की भरऊटी) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 263/2026 धारा 74/352/351(3)/333 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना महराजगंज।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांकः 02.11.2026 थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

 यातायात माह नवंबर-2026 अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा काली फिल्म एवं हूटर लगी स्कॉर्पियो तथा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल सीज।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में यातायात माह नवंबर-2026 अभियान के तहत दिनांक 01.11.2026 की रात्रि में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान काली फिल्म एवं हूटर लगी एक स्कॉर्पियो तथा बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल पकड़ी गई।

➡ उक्त दोनों वाहनों को नियमानुसार सीज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। आजमगढ़ पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार चेकिंग एवं प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।